न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/519

1. रमेश आयु 45 वर्ष आत्मज श्री भैरू लाल जी जाति मीणा निवासी मायजा ।
2. नन्दकिशोर आयु 40 वर्ष ।
3. मुकेश आयु 35 वर्ष
4. मस्तराम आयु 30 वर्ष पिसरान कालू जी जाति मीणा निवासी ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. श्रीमती छोटी बाई आयु 65 वर्ष पत्नी कालू जी जाति मीणा निवासी मायजा ।
6. महावीर आयु 40 वर्ष आत्मज श्री गाडीराम मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजू आयु 32 वर्ष ।
2. सदानन्द आयु 28 वर्ष पिसरान श्री कालू जी मीणा निवासी मायजा ।
3. श्रीमती धापू आयु 55 वर्ष पत्नी श्री कालू जी मीणा निवीास मायजा ।
4. महावीर आुय 40 वर्ष
5. ब्रह्मानन्द आयु 38 वर्ष
6. पप्पू लाल आुय 32 वर्ष
7. प्रहलाद आुय 60 वर्ष पिसरान श्री कंवरा जी मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. बद्री आयु 58 वर्ष
9. रामप्रताप आयु 56 वर्ष ।
10. रामचन्द्र आयु 54 वर्ष
11. रामस्वरूप आयु 52 वर्ष
12. सत्यनारायण आयु 50 वर्ष पिसरान नन्दा जी मीणा जाति मीणा निवासी मायजा हाल 'निवीास हाल कोटडी व्यापार संघ की प्याऊ के पास कोटा ।
13. देवराज आयु 40 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल गोद पुत्र रामा जी मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
14. तिलकराज आयु 15 वर्ष पुत्री भंवर लाल
15. कुमारी कृष्णा पुत्री भंवर लाल ।
16. कुमारी मनीषा पुत्री भंवर लाल अवयस्क जरिये संरक्षक माता श्रीमती शम्भूडी बाई पत्नी भंवर लाल मीणा निवासी मायजा ।
17. श्रीमती शम्भूडी बाई आयु 50 वर्ष पत्नी भंवर लाल मीणा निवासी मायजा बहैसियत स्वयं एवं संरक्षक तथा हितेषी रेस्पोडेन्ट क्रम 14, 15 एवं 16 ।
18. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 18/380

1. रमेश आयु 45 वर्ष आत्मज श्री भैरू लाल जी जाति मीणा निवासी मायजा ।
2. नन्दकिशोर आयु 40 वर्ष ।
3. मुकेश आयु 35 वर्ष
4. मस्तराम आयु 30 वर्ष पिसरान कालू जी जाति मीणा निवासी ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. श्रीमती छोटी बाई आयु 65 वर्ष पत्नी कालू जी जाति मीणा निवासी मायजा ।
6. महावीर आयु 40 वर्ष आत्मज श्री गाडीराम मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजू आयु 32 वर्ष ।
2. सदानन्द आयु 28 वर्ष पिसरान श्री कालू जी मीणा निवासी मायजा ।
3. श्रीमती धापू आयु 55 वर्ष पत्नी श्री कालू जी मीणा निवीस मायजा ।
4. महावीर आुय 40 वर्ष
5. ब्रह्मानन्द आयु 38 वर्ष
6. पप्पू लाल आुय 32 वर्ष
7. प्रहलाद आुय 60 वर्ष पिसरान श्री कंवरा जी मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. बद्री आयु 58 वर्ष
9. रामप्रताप आयु 56 वर्ष ।
10. रामचन्द्र आयु 54 वर्ष
11. रामस्वरूप आयु 52 वर्ष
12. सत्यनारायण आयु 50 वर्ष पिसरान नन्दा जी मीणा जाति मीणा निवासी मायजा हाल निवीास हाल कोटडी व्यापार संघ की प्याऊ के पास कोटा ।
13. देवराज आयु 40 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल गोद पुत्र रामा जी मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
14. तिलकराज आयु 15 वर्ष पुत्री भंवर लाल
15. कुमारी कृष्णा पुत्री भंवर लाल ।
16. कुमारी मनीषा पुत्री भंवर लाल अवयस्क जरिये संरक्षक माता श्रीमती शम्भूडी बाई पत्नी भंवर लाल मीणा निवासी मायजा ।
17. श्रीमती शम्भूडी बाई आयु 50 वर्ष पत्नी भंवर लाल मीणा निवासी मायजा बहैसियत स्वयं एवं संरक्षक तथा हितेषी रेस्पोडेन्ट क्रम 14, 15 एवं 16 ।
18. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2003 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2005 एवं संशोधित डिक्री 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी मृतक कालू ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में कुल किता 10 की रकबा 4.86 हैक्टर आराजी स्थित है तथा ग्राम मायजा में ही कुल 17 किता की 5.76 हैक्टर आराजी स्थित है । वादपत्र की चरण संख्या 1व 2 में वर्णित कृषि भूमि पारिवार के मूल पुरूष व बरधा आत्मज बद्री हैं । स्व0 बरधा द्वारा छोडी हुयी कृषि भूमि पर ऊंकार के वारिसन् का 1/5 हक हिस्सा है । स्व0 बरधा की मृत्यु के बाद वादी के दादा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से अन्य सहखातेदारान ने बरधा द्वारा छोडी गई सम्पत्ति में से बहुत सारी भूमि अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दी । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी स्व0 बरधा जी द्वारा छोडी हुई समस्त भूमि के 1/5 हिस्से पर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाये तथा प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें कि वह वादी के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे न ही किसी अन्य से करावे ।

4. अतः वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि एवं स्वर्गीय बरधा की छोडी हुई सम्पत्ति के 1/5 पर स्वर्गीय ऊंकार के वारिसान को खातेदार घोषित किया जाकर एवं विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी को उसके हिस्से की भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम पृथक से दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2003 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी । प्राथमिक डिक्री के आधार पर दिनांक 16.05.2005 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी । अंतिम डिक्री में संशोधन करने बाबत् एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.06.2017 के द्वारा स्वीकार करते हुए अंतिम डिक्री में संशोधन किया गया है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2003 एवं आदेश 15.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण कम 8, 10, 11, 12, 13 एवं 15 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना [illegible] पेश कर कथन कया कि [illegible] 30.04.2003 की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त [illegible] दिनांक 18.05.2018 को हुई । इसी प्रकार अपीलान्ट को अंतिम डिक्री एवं संशोधित डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.05.2018 को हुई जब रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 ने अपीलान्ट से कहा कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में 2/5 हिस्से के मालिक हम हैं तथा हम 12 बीघा भूमि पर कब्जा करें क्योंकि हमारे पक्ष में निर्णय हो चुका है । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णयों की नकल प्राप्त कर यह दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने प्रारम्भिक डिक्री और अंतिम डिक्री दोनों के खिलाफ अपील पेश की है । प्रकरण में गाडीराम का देहान्त सन् 2002 में हो गया था उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया । प्रतिवादी रामा का देहान्त 08 वर्ष पूर्व, वादी कालू का देहान्त 05 वर्ष पूर्व तथा भंवर लाल का देहान्त 06 वर्ष पूर्व हो गया था उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है । प्रतिवादी भंवर लाल प्रभूलाल के गोद गये थे इस बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं आयी इसके उपरान्त भी भंवर लाल को गोदपुत्र माना है । अपीलान्ट व उनके पिता को कोई सूचना नहीं दी गई बिना सूचना के उनके विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित किया गया है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं आये हैं मौका रिपोर्ट बनाये जाने से पूर्व मौके पर पक्षकारान को नहीं बुलाया गया । पटवारी को मौका रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार नहीं है । वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि कुल रकबा 4.86 हैक्टर ही बरधा जी से पक्षकारों को आयी थी तथा इस भूमि की जमाबन्दी में बरधा जी का नाम है । यह भूमि बंटवारा योग्य थी । चरण संख्या 02 में वर्णित आराजी में रेस्पोडेन्ट का कोई हक एवं कब्जा नहीं था । चरण संख्या 02 में वर्णित आराजी के स्वामी अपीलान्ट के पितामह ओगड जी थे उनके देहान्त के बाद यह भूमि अपीलान्ट के कब्जे व आधिपत्य में है जिसका बंटवारो अपीलान्ट द्वारा उनके मध्य में कर लिया है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को थी इसके बावजूद इस आराजी का बंटवारा किया गया है । अपीलान्टगण को अपीलाधीन निर्णयों की जानकारी नहीं थी उक्त अपीलाधीन निर्णयों की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.05.2018को हुई थी जब रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 ने अपीलान्ट से कहा कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में 2/5 हिस्से के मालिक हक हैं। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब का शमन कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2016 पेज 565, आरआरडी 1999 पेज 206, आरआरडी 2016 पेज 409 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पूर्व में पेश की गई अपीलान्ट में इस न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है । पुनः अब अपीलान्ट की अपील विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री मेन्टेनेबल नहीं है । अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । डिक्री की पालना हो चुकी है, पक्षकारों के खाते अलग हो चुके हैं । अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज

फरमायी जावें । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2007 (एससी) पेज 438, 1993 (2) एससीसी पेज 162, आरबीजे 2018 पेज 756 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.04.2003 में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और निर्णय दिनांक 16.05.2005 को विभाजन की अंकित डिक्री पारित की है । अपील सन् 2018 में पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पूर्व में पेश की गई अपील संख्या 72/05 में निर्णय दिनांक 25.08.2009 को पारित किया गया है जिसमें अपील खारिज की गई है । अब पुनः इस प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ अपीलान्टगण के द्वारा पेश की गई अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अपीलान्ट अपना पक्ष माननीय राजस्व मण्डल में रख सकते हैं । तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री की अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है ।

12. जहॉ तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है अंकित डिक्री सन् 2005 में पारित की गई है जिसके खिलाफ अपील सन् 2018 में पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है और अंतिम डिक्री की अपील में पक्षकारों के अधिकार और स्वत्व के बाबत् कोई निर्णय नहीं किया जा सकता वो निर्णय तो प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश अपील में ही किया जा सकता है जिसके बाबत् इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है । अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरबीजे 2007 (एससी) पेज 438, 1993 (2) एससीसी पेज 162, आरबीजे 2018 पेज 756 प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होती हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 18/519 प्राथमिक डिक्री की अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अपील संख्या 18/380 गंभीर रूप से अवधि बाधित से खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2003 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2005 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15.06.2017 बहाल रखे जाते हैं ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/519

1. रमेश आयु 45 वर्ष आत्मज श्री भैरू लाल जी जाति मीणा निवासी मायजा ।
2. नन्दकिशोर आयु 40 वर्ष ।
3. मुकेश आयु 35 वर्ष
4. मस्तराम आयु 30 वर्ष पिसरान कालू जी जाति मीणा निवासी ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. श्रीमती छोटी बाई आयु 65 वर्ष पत्नी कालू जी जाति मीणा निवासी मायजा ।
6. महावीर आयु 40 वर्ष आत्मज श्री गाडीराम मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजू आयु 32 वर्ष ।
2. सदानन्द आयु 28 वर्ष पिसरान श्री कालू जी मीणा निवासी मायजा ।
3. श्रीमती धापू आयु 55 वर्ष पत्नी श्री कालू जी मीणा निवीस मायजा ।
4. महावीर आुय 40 वर्ष
5. ब्रह्मानन्द आयु 38 वर्ष
6. पप्पू लाल आुय 32 वर्ष
7. प्रहलाद आुय 60 वर्ष पिसरान श्री कंवरा जी मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. बद्री आयु 58 वर्ष
9. रामप्रताप आयु 56 वर्ष ।
10. रामचन्द्र आयु 54 वर्ष
11. रामस्वरूप आयु 52 वर्ष
12. सत्यनारायण आयु 50 वर्ष पिसरान नन्दा जी मीणा जाति मीणा निवासी मायजा हाल निवीस हाल कोटडी व्यापार संघ की प्याऊ के पास कोटा ।

13. देवराज आयु 40 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल गोद पुत्र रामा जी मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
14. तिलकराज आयु 15 वर्ष पुत्री भंवर लाल
15. कुमारी कृष्णा पुत्री भंवर लाल ।
16. कुमारी मनीषा पुत्री भंवर लाल अवयस्क जरिये संरक्षक माता श्रीमती शम्भूडी बाई पत्नी भंवर लाल मीणा निवासी मायजा ।
17. श्रीमती शम्भूडी बाई आयु 50 वर्ष पत्नी भंवर लाल मीणा निवासी मायजा बहैसियत स्वयं एव संरक्षक तथा हितेषी रेस्पोडेन्ट कम 14, 15 एवं 16 ।
18. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थ

अपील संख्या : 18/380

1. रमेश आयु 45 वर्ष आत्मज श्री भैरू लाल जी जाति मीणा निवासी मायजा ।
2. नन्दकिशोर आयु 40 वर्ष ।
3. मुकेश आयु 35 वर्ष
4. मस्तराम आयु 30 वर्ष पिसरान कालू जी जाति मीणा निवासी ग्राम मायजा तहसील के0 पाट जिला बून्दी ।
5. श्रीमती छोटी बाई आयु 65 वर्ष पत्नी कालू जी जाति मीणा निवासी मायजा ।
6. महावीर आयु 40 वर्ष आत्मज श्री गाडीराम मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जि बून्दी ।

——अपील

बनाम

1. राजू आयु 32 वर्ष ।
2. सदानन्द आयु 28 वर्ष पिसरान श्री कालू जी मीणा निवासी मायजा ।
3. श्रीमती धापू आयु 55 वर्ष पत्नी श्री कालू जी मीणा निवीस मायजा ।
4. महावीर आुय 40 वर्ष
5. ब्रह्मानन्द आयु 38 वर्ष
6. पप्पू लाल आुय 32 वर्ष
7. प्रहलाद आुय 60 वर्ष पिसरान श्री कंवरा जी मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन बून्दी ।
8. बद्री आयु 58 वर्ष
9. *रामप्रताप आयु 56 वर्ष ।*
10. रामचन्द्र आयु 54 वर्ष
11. रामस्वरूप आयु 52 वर्ष

12. सत्यनारायण आयु 50 वर्ष पिसरान नन्दा जी मीणा जाति मीणा निवासी मायजा हाल निवीस हाल कोटडी व्यापार संघ की प्याऊ के पास कोटा ।
13. देवराज आयु 40 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल गोद पुत्र रामा जी मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
14. तिलकराज आयु 15 वर्ष पुत्री भंवर लाल
15. कुमारी कृष्णा पुत्री भंवर लाल ।
16. कुमारी मनीषा पुत्री भंवर लाल अवयस्क जरिये संरक्षक माता श्रीमती शम्भूडी बाई पत्नी भंवर लाल मीणा निवासी मायजा ।
17. श्रीमती शम्भूडी बाई आयु 50 वर्ष पत्नी भंवर लाल मीणा निवासी मायजा बहैसियत स्वयं एवं संरक्षक तथा हितेषी रेस्पोडेन्ट क्रम 14, 15 एवं 16 ।
18. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2003 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2005 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 15.06.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 214 / दावा / 1999

कालू आत्मज किशना जाति मीणा निवासी ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. प्रहलाद आुय 60 वर्ष पिसरान श्री कंवरा जी मीणा निवासी मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. बद्री आयु 58 वर्ष
3. रामप्रताप आयु 56 वर्ष ।
4. रामचन्द्र आयु 54 वर्ष
5. रामस्वरूप आयु 52 वर्ष
6. सत्यनारायण आयु 50 वर्ष पिसरान नन्दा जी मीणा जाति मीणा निवासी मायजा हाल निवीस हाल कोटडी व्यापार संघ की प्याऊ के पास कोटा ।
7. रामा आत्मज जगन्या जाति मीणा निवीस ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. रमेश
9. देवराज पिसारान भेरिया जाति मीणा निवासी ग्राम मायजा ।
10. नन्दकिशोर
11. मुकेश
12. मस्ताराम पिसरान् कालू जाति मीणा निवीस ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
13. छोटी बाई बेवा कालू मीणा निवासी ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
14. गाडीराम पिता ओगड मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी

15. महावीर
16. ब्रह्मानन्द
17. पप्पू लाल पिसरान कंवरा जाति मीणा निवासी ग्राम मायजा
18. भंवर लाल पुत्र प्रभू जाति मीणा निवासी ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2003 एवं अंतिम डिकी दिनांक 16.05.2005 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 15.06.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.08.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 18/519 प्राथमिक डिक्री की अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अपील संख्या 18/380 गंभीर रूप से अवधि बाधित से खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 30.04.2003 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2005 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15.06.2017 बहाल रखे जाते हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिकी आज तारीख 16.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

16/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा